आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

~~के लिए~~

के बीच विवाद का समाधान u/s 144 CrPC तहत कार्यवाही नहीं है।

दोनों पक्ष या तो अंचल कार्यालय में आवेदन देकर उपलब्ध कागजातों के आधार पर भूमि मापी करा लें, या सक्षम न्यायालय के शरण में जाय।

इस अभिलेख की कार्यवाही बिना किसी ~~पक्ष~~ पक्ष के गुण-दोष के समाप्त किया जाता है।